भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FV 820383

(प्रारूप– "अ")

शपथपत्र

हम गीता जैन एवं दीपक जैन क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री जे0टी0 जैन एजुकेशनल एण्ड चैरीटेबल ट्रस्ट 39, हनुमान रोड, शामली शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है –

1. यह कि हमारे ट्रस्ट द्वारा जैन फार्मेसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बनत (शामली) नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है ।
2. यह कि हमारे ट्रस्ट के नाम गोहरपुर रोड, बनत जनपद शामली उ0प्र0 247776 मे गाटा संख्या 2343 एवं 2348 रकबा क्रमशः 0.6720 एवं 0.1640 हैक्टेयर (कुल रकबा 0.8360 हैक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे नही चल रहा है , और भूमि विवाद रहित है ।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 2343 एवं 2348 रकबा क्रमशः 0.6720 एवं 0.1640 हैक्टेयर (कुल रकबा 0.8360 हैक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनाक 01/12/2021 द्वारा पारित किया गया है ।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है ।

गीता जैन

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with AnyScanner

Scanned with AnyScanner

Scanned with AnyScanner

6. यह कि निरिक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनो को ही निरिक्षण समिति के समक्ष निरिक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

7. यह कि , इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया ,नई दिल्ली के नियमो के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम मे प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनो मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमो के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय /महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/ महाविद्यालय/आई0 टी0 आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व मे कभी किया गया है, और न ही भविष्य मे कभी किया जायेगा ।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओ एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों /आदेशों का भलिभांति पालन करूँगा । यदि मेरे संस्थान मे किसी भी समय स्थलीय निरिक्षण में मानकनुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरिक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा । इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।

मै घोषणा करता /करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरे निजी जानकारी मे पूर्ण रूप से सत्य है । यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख /दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी । ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मै स्वंय उत्तरदायी होऊँगा ।

NOTARY FARZANA GOVT OF INDIA

ह0 सचिव

L.T.I./Signatur of Deponent

ह0 अध्यक्ष

L.T.I./Signatur of Deponent

ATTESTED
FARZANA
NOTARY
SHAMLI
3-8-23

मै घोषणा करता हूँ कि मै शपथ कर्ता को जानता हूँ उसने इस शपथ पत्र पर आज मेरे व नोटरी के सामने अपने हस्ताक्षर/अँगूठा निशानी किया है।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with AnyScanner
Scanned with AnyScanner

Scanned with AnyScanner